



# पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तराखण्ड लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

## अधीक्षण अभियन्ता (जानपद) परि० एवं अनु० कार्यालय

विद्युत भवन, नजदीक-आई०एस०बी०टी० क्रासिंग, सहारनपुर रोड, माजरा, देहरादून-248002

email:- vk\_pandey@ptcul.org

पत्रांक:- 116 / अधी० अभि० (जानपद) परि० एवं अनु० / पिटकुल / दे०दून / टी-1

दिनांक:- 19.03.2015

विषय : निविदा संख्या 04/1/SE(C)/D.Dun 2014-15 के प्रकाशन के सम्बन्ध में। निविदा तिथि विस्तार सूचना सं०-04

→ BR Advertising Service  
602 Indra Nagar Colony  
Dehradun.

महोदय,

1. एतद्वारा हिन्दी भाषा का विज्ञापन इस आशय से संलग्न किया जा रहा है कि संलग्न विज्ञापन को समाचार पत्रों में अंग्रेजी के 7 प्वाइन्ट टाइप व हिन्दी के 9 प्वाइन्ट में कम से कम स्थान पर निम्नलिखित समाचार पत्रों में प्रकाशित करने की व्यवस्था करें।  
अ. दैनिक जागरण, उत्तराखण्ड संस्करण।  
ब. अमर उजाला, उत्तराखण्ड संस्करण।  
स. टाइम्स ऑफ इण्डिया दिल्ली संस्करण।  
द. हिन्दुस्तान टाइम्स दिल्ली संस्करण।
2. प्रकाशन के बाद विज्ञापन आदेशों की प्रथम मूल प्रति, प्रकाशन हेतु प्रेषित सामग्री की मूल प्रति के साथ, विज्ञापन शुल्क का बीजक तीन प्रतियों में, अग्रिम भुगतान प्राप्त रसीद टिकट सहित प्रकाशित विज्ञापन की दो सम्पूर्ण वाउचर प्रतियां संलग्न करते हुए भुगतान हेतु अधिशासी अभियन्ता, पिटकुल, परि० एवं अनु० जानपद खण्ड, 1- सिविल लाइन्स रुड़की को प्रेषित करें। विज्ञापन आदेश की प्रथम मूल प्रति के स्थान पर फोटोप्रति प्रेषित करने पर सत्यापन/भुगतान सम्भव न होगा।
3. विज्ञापन प्रकाशित होते ही विलम्बतम तीन दिनों के अन्दर प्रकाशित विज्ञापन की एक कटिंग अधोहस्ताक्षरी को सूचनार्थ अवश्य भेज दी जाये, अन्यथा सम्बन्धित बीजक का सत्यापन/भुगतान नहीं किया जायेगा।
4. यदि उपर्युक्त समाचार पत्रों को सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड तथा विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय (DAVP), भारत सरकार द्वारा विज्ञापन दरें स्वीकृत न हों तो कृपया विज्ञापन का प्रकाशन न करें तथा अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब इस आशय की सूचना देने का कष्ट करें।
5. उक्त आदेशों के विपरीत तथा गलत अथवा भद्दे ढंग से प्रकाशित किये गये विज्ञापनों में कारपोरेशन द्वारा नियमानुसार आवश्यक कटौती की जा सकती है अथवा सम्पूर्ण बीजक का भुगतान रोका/निरस्त किया जा सकता है।

संलग्नक:- विज्ञापन सामग्री 01 नं०।

भवदीय,  
(विनोद कुमार पाण्डे)

अधीक्षण अभियन्ता (जानपद) परि० एवं अनु०  
पिटकुल, देहरादून

पत्रांक:- 116 / अधी० अभि० (जानपद) परि० एवं अनु० / पिटकुल / दे०दून / टी-1

दिनांक :- 19.03.2015

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निदेशक (परि० एवं अनु०), पिटकुल, देहरादून।
2. महाप्रबन्धक (वित्त), पिटकुल, पिटकुल, देहरादून।
3. मुख्य अभियन्ता (परि० एवं अनु०), पिटकुल, 26-सिविल लाइन्स, रुड़की।
4. हैड सिविल इन्जीनियरिंग, पिटकुल, पिटकुल मुख्यालय भवन, माजरा, देहरादून को इस सम्बन्ध में हुयी वार्ता के सन्दर्भ में प्रेषित।
5. अधिशासी अभियन्ता, परि० एवं अनु० जानपद खण्ड, रुड़की एवं सदस्य, टेण्डर ओपनिंग कमेटी (नाम से) को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि दिनांक 06.04.2015 को 03:00 बजे इस कार्यालय में निविदा खोलने हेतु उपस्थित होने का कष्ट करें एवं उपर्युक्त बिन्दु संख्या 02 के सत्यापन के उपरान्त ही बीजक का भुगतान करना सुनिश्चित करें।
6. सहायक अभियन्ता (जानपद)/अवर अभियन्ता (जानपद), परि० एवं अनु०, रुड़की।
7. नोटिस बोर्ड।

(विनोद कुमार पाण्डे)

अधीक्षण अभियन्ता (जानपद) परि० एवं अनु०  
पिटकुल, देहरादून